

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि0व0 / विविध-25-20 / 2017 - 65

पटना, दिनांक- 25/10/18

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालनार्थ समेकित रूप से कार्यालय व्यय हेतु रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालनार्थ समेकित रूप से कार्यालय व्यय हेतु रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के मांग संख्या-11- के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13-कार्यालयी व्यय-0101.13.01-कार्यालय व्यय" विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

3- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह निकासी व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता-240 में उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, संकल्प ज्ञापांक-3808 दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।


5- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा एवं इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा निगम संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजेंगे।

6-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रेम सिंह मीणा),
सचिव।

(PTO)

ज्ञापांक- पि0व0 / विविध-25-20 / 2017 -65

पटना, दिनांक- 25/10/18


प्रतिलिपि:-सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव /बजट सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट (<https://bcebcwelfare.bih.nic.in>) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सचिव 25.10.18

ज्ञापांक- पि0व0 / विविध-25-20 / 2017 -65

पटना, दिनांक- 25/10/18


प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सचिव 25.10.18

ज्ञापांक- पि0व0 / विविध-25-20 / 2017 -65

पटना, दिनांक- 25/10/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव 25.10.18